UPBP010004892019

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-॥ (एच०जे०एस०) आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

विशेष सत्र प्रकरण क्र०-20/2019
कम्प्यूटरीकृत पंजीयन सं०-15/2019
अपराध क्रमांक-281/2018
धारा-363, 366ए, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4, 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
संस्थापन दिनांक-16.03.2019
सी.एन.आर.नं०-UPBP010004892019
पुलिस थाना-कोतवाली उतरौला
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

उ०प्र० राज्य.......................................अभियोगी

बनाम

समीर..अभियुक्त

उपस्थितिः-

(i) राज्य की ओर से श्री पवन कुमार वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

(ii) अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री विकास सिंह कलहंस उपस्थित।

निर्णय

(आज दिनांक-25.07.2026 को उद्घोषित)

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

1. पुलिस थाना-कोतवाली उतरौला, जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०) द्वारा सम्पूर्ण विवेचना सम्पन्न करने के उपरान्त अभियुक्त समीर पुत्र दिलावर निवासी पटेलनगर कस्बा थाना थाना-कोतवाली उतरौला जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०) के विरूद्ध धारा-363, 366ए, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 व धारा-18 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-एक, बलरामपुर में पेश किया गया तथा दिनांक 16.03.2019 को उक्त न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियोत्री/पीड़िता (जिसका नाम या जिसके नाम का उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण **भूपेन्द्र शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2003 एस०सी०सी० 551 तथा निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2019(2) एस०सी०सी० 703 तथा धारा-228(क) भा०दं०सं० (एतस्मिनपश्चात् संहिता से सम्बोधित) एवं धारा-33(7) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (एतस्मिनपश्चात् अधिनियम से सम्बोधित)** में उपबंधित विधि एवं प्रावधानों के अनुपालन में अभियोत्री/पीड़िता एवं उसके कुटुम्ब की पहचान गोपनीय रखने के आशय से उनके नाम से सम्बोधित न किया जाकर साक्षीगण को उनके क्रम संख्या से सम्बोधित किया जायेगा।

3. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बलरामपुर के आदेश दिनांक 01.12.2022 के अनुपालन में पत्रावली इस न्यायालय को विचारण हेतु अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई।

4. उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण हस्तगण प्रकरण की पीड़िता व फरियादी की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन की ओर से उक्त दोनों महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराया जा सका है। दोनों मृत साक्षीगण की मृत्यु की सूचना के सम्बन्ध में न्यायालय की ओर से पीड़िता की मां को न्यायालय साक्षी सं०-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्र०सी०-1सी०) तथा फरियादी का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्र०सी०-2सी०) प्रस्तुत कर साबित किया है।

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

5. अभियोजन द्वारा त्रुटिवश पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी पर प्रदर्श क-4, फर्द बरामदगी पंचनामा पर प्रदर्श क-5 एवं पीड़िता का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर प्रदर्श क-6 अंकित किया गया है, जिन्हें अवलोकन उपरान्त संशोधित किया गया है। उपरोक्तानुसार संशोधन उपरान्त पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी पर प्रदर्श क-4क, फर्द बरामदगी पंचनामा पर प्रदर्श क-5क एवं पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर प्रदर्श क-6क पढ़ा व समझा जाए।

6. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/पीड़िता का पिता (अपरीक्षित/मृतक) द्वारा दिनांक 08.12.2018 को पुलिस थाना-कोतवाली उतरौला, जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) में एक हस्तलिखित तहरीर इस आशय की दी गई थी कि घटना दिनांक 06.12.2018 समय 04.00 बजे शाम को विपक्षी समीर अहमद पुत्र दिलावर निवासी मो० पटेल नगर कोतवाली उतरौला जिला बलरामपुर फरियादी की नाबालिग लड़की/पीड़िता उम्र 16 वर्ष को मोटरसाइकिल पर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की नाबालिग लड़की को भगाने में दिलावर पुत्र कासिम का भी हाथ है। फरियादी को शक है कि लड़की को कहीं ले जाकर अज्ञात स्थान पर रखे हैं। उपरोक्त प्रकार की लिखित तहरीर फरियादी द्वारा पुलिस थाना-कोतवाली उतरौला पर प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने की याचना की गई थी।

7. फरियादी द्वारा पुलिस थाना-कोतवाली उतरौला, जनपद बलरामपुर में दी गई लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण समीर, दिलावर व अन्य के विरूद्ध मु०अ०सं०-281/2018, धारा-363, 366ए भा०दं०सं० व धारा-18 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-8) पंजीबद्ध किया गया था तथा पंजीबद्ध किये अपराध का खुलासा जी०डी० कायमी रपट संख्या-25, समय 16.30 बजे दिनांक 09.12.2018 (प्र०क-9) पर किया गया, तदोपरान्त प्रकरण में अन्वेषण कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु, विवेचना अनुसंधानकर्ता अधिकारी शम्भू सिंह (अ०सा०-5) को सौंप दी गई।

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

8. साक्षी विवेचक शम्भू सिंह (अ०सा०-5) द्वारा प्रकरण की विवेचना सम्पादित की गई तथा दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण बब्लू उर्फ फिरोज, मोबिन व दिलावर की नामजदगी गलत पाई गई तथा अभियुक्त समीर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर आरोप पत्र (प्र०क-7) अन्तर्गत धारा-363, 366ए, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4, 18 पाक्सो एक्ट न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-1, बलरामपुर में प्रस्तुत किया गया।

9. अभियुक्त समीर को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया, वह उपस्थित आया तथा दिनांक 02.07.2019 को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), कक्ष सं०-1, बलरामपुर द्वारा अभियुक्त समीर के विरूद्ध धारा-363, 366ए, 376 भा०दं०सं० एवं धारा-3/4, 18 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में निम्नानुसार साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं:-

न्याया०सा०-1	पीड़िता की मां (न्यायालय साक्षी)
अ०सा०-2	महेश कुमार प्रजापति (पीड़िता के विद्यालय का प्रधानाध्यापक)
अ०सा०-3	डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (चिकित्सक साक्षी)
अ०सा०-4	डॉ० राबिया सुल्ताना (चिकित्सक साक्षी)
अ०सा०-5	शम्भू सिंह (अनुसंधानकर्ता अधिकारी)
अ०सा०-6	गुरू प्रसाद सिंह (प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक)

11. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नानुसार दस्तावेजी साक्ष्य पेश एवं सिद्ध किये गये हैं:-

क्र० सं०	**दस्तावेज/वस्तु का विवरण**	**प्रदर्श नम्बर**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	पीड़िता के विद्यालय द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र	प्रदर्श क-1	महेश कुमार प्रजापति (अ०सा०-2)
2	पीड़िता के स्थानान्तरण प्रमाण-	प्रदर्श क-2	महेश कुमार प्रजापति (अ०सा०-2)

	पत्र की प्रमाणित छायाप्रति		
3	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट	प्रदर्श क-3	डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-3)
4	पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन	प्रदर्श क-4	डॉ० राबिया सुल्ताना (अ०सा०-4)
5	नक्शा-नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क-4 क	शम्भू सिंह (अ०सा०-5)
6	फर्द बरामदगी अपहृता	प्रदर्श क-5	शम्भू सिंह (अ०सा०-5)
7	पीड़िता की पूरक मेडिको लीगल रिपोर्ट	प्रदर्श क-5 क	डॉ० राबिया सुल्ताना (अ०सा०-4)
8	पीड़िता की पैथालाजी रिपोर्ट	प्रदर्श क-6	डॉ० राबिया सुल्ताना (अ०सा०-4)
9	विवेचक द्वारा पीड़िता का धारा-164 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान अंकित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र	प्रदर्श क-6 क	शम्भू सिंह (अ०सा०-5)
10	आरोप पत्र	प्रदर्श क-7	शम्भू सिंह (अ०सा०-5)
11	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-8	शम्भू सिंह (अ०सा०-5)
12	जी०डी० कायमी	प्रदर्श क-9	शम्भू सिंह (अ०सा०-5)
13	पीड़िता का मृत्यु प्रमाण-पत्र	प्रदर्श सी-1 सी	पीड़िता की मां (सी०डब्लू०-1)
14	फरियादी का मृत्यु प्रमाण-पत्र	प्रदर्श सी-2 सी	पीड़िता की मां (सी०डब्लू०-1)

12. न्यायालय की ओर से साक्षी पीड़िता की मां को न्यायालय साक्षी सं०-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि"मैं अभियुक्त समीर को जानती पहचानती हूँ। प्रकरण का फरियादी मेरा पति है। प्रकरण की पीड़िता मेरी पुत्री है। मेरे पति की मृत्यु दिनांक 28.08.2019 को हो गयी है तथा मेरी पुत्री पीड़िता की मृत्यु दिनांक 06.04.2023 को हो गयी है। न्यायालय द्वारा जारी किये गये सम्मन की प्रति मुझे प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में मैं पीड़िता एवं फरियादी के मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति आज अपने साथ लेकर आयी हूँ मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति आज मैं दाखिल कर रही हूँ। मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति के समरूप छायाप्रति है। पीड़िता का मृत्यु प्रमाणपत्र (प्र०सी०-1 सी०) है। फरियादी का मृत्यु प्रमाणपत्र (प्र०सी०-2 सी०) है। घटना के समय मेरी पुत्री की उम्र 16 वर्ष थी। घटना के संबंध में मेरी पुत्री/पीड़िता ने मुझे बताया था कि अभियुक्त समीर ने मेरी लड़की/पीडिता को बताया कि तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है जल्दी मेरे साथ चलो तुम्हे तुम्हारे अब्बू को दिखा लाये

नहीं तो देर हो जायेगी और उनको अस्पताल लेकर चलें जायेंगे। और बातें मेरी पुत्री ने अपने अब्बू से बतायी थी और मुझे कोई बात नहीं बतायी थी।"

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय साक्षी सं०-1 पीड़िता की मां से जिरह की गई है कि" मुझसे दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। मेरे आदमी से बयान लिया था उन्हीं को जानकारी थी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने दरोगा जी कोई बयान नहीं दिया था। मेरे पति आसमोहम्मद और मेरी बेटी अतीफा खातून की मृत्यु हो गयी है। मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नूरूल्लाह मेरे रिश्तेदार हैं। यह कहना गलत है कि समीर के पिता दिलावर का नूरुल्लाह से दिवानी मुकदमा चल रहा है। यह कहना गलत है कि नूरूल्लाह के मुकदमें में दिलावर के उपर दबाव बनाने के लिए समीर के उपर झूठा मुकदमा लिखाया। यह भी कहना गलत है कि मुकदमें में झूठी गवाह बनी ।यह भी कहना गलत है कि मेरी बेटी ने मुझे यह नहीं बताया था कि समीर ने अब्बू की एक्सीडेंट की बात बता कर मेरी बेटी को अपने साथ अस्पताल ले जाने वाली बात नहीं बतायी थी। यह भी कहना गलत है कि मुकदमा बनाने के लिए मैं झूठा बयान दे रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि मेरी बेटी समीर के साथ कभी कहीं नहीं गयी है। यह भी कहना गलत है कि घटना की समय मेरी बेटी व्यस्क महिला थी। घटना के समय मैं नहीं थी मैंने घटना को अपने आँखों से नहीं देखी है। यह कहना गलत है कि मैं मुकदमें झूठा बयान दे रही हूँ।"

14. अभियोजन की ओर से साक्षी महेश कुमार प्रजापति को (अ०सा०-2) के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि "मैं वर्ष 2022 से ए० एल० मेमोरियल माडर्न स्कूल नौरंगडीह (मुजहनी) उतरौला बलरामपुर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्रभारी निरीक्षक उतरौला मुकदमा अपराध संख्या-281/18 धारा-363, 366A, 376, 506 भा०दं०सं०, 3/4 व धारा-18 पाक्सो एक्ट की पीड़िता का जन्म प्रमाण-पत्र मेरे विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक आर० पी० सिंह ने दिया था, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 01.01.2002 अंकित है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या-4/23 पीड़िता का प्रमाणपत्र (प्र०क-1) है, जिसके अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर बने हैं। आज मैं एस०आर० रजिस्टर की मूल प्रति लेकर आया हूँ, जिसके प्रवेश क्रमांक-2700 में पीड़िता की जन्मतिथि 01.01.2002 अंकित है। आज मैं एस० आर० रजिस्टर की

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रहा हूँ। यह मूल के अनुरूप है जोकि (प्र०क-2) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बनें हैं।"

15. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी महेश कुमार प्रजापति (अ०सा०-2) से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसमें साक्षी से यह स्वीकार कराया गया है कि "पीड़िता ने मेरे विद्यालय में कक्षा-08 में प्रवेश लिया था, इससे पूर्व किसी विद्यालय में पढ़ने के संदर्भ में कोई अंकना एस०आर०रजिस्टर में नहीं है। और न ही गृह शिक्षा के बारे में कोई अंकना है। पीड़िता के जन्मतिथि के बारें में कोई भी प्रपत्र एस०आर०रजिस्टर में नहीं है। यह सही है कि कक्षा-08 में लगातार अनुपस्थित होने के कारण उसके नाम के काटे जाने की अंकना है। यह कहना गलत है कि झूंठी प्रपत्र के आधारों पर झूंठी गवाही दी है।"

16. अभियोजन की ओर से साक्षी डा० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-3) को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक-20.12.2018 को मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन कुमारी अदीफा खातून का रेडियोलाजिकल परीक्षण किया था जिसको डा० ए०के० यादव ने किया था जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित टीम में दांतो के डाक्टर तथा फीजियोथेरिपिस्ट भी शामिल थे, जिसमें एपेफाइसेज, एल्बो, हिप फ्यूज्ड पाये गये थे और डिस्टल एंड आफ द क्लैविकल इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इलियक क्रस्ट रेडियस अलना का लोउर एंड फ्यूज्ड नहीं थे। पीड़िता की रेडियोलाजिकल उम्र 16 वर्ष बताई गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित टीम के परीक्षण का अवलोकन करने के पश्चात पीड़िता का उम्र 16 वर्ष निर्धारित की थी। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट (प्रदर्श क-03) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।"

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी डॉ० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-3) से जिरह की गई है, जिसमें साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि "अलना का डिस्टल एंड का फ्यूजन 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात में होती है। यह कहना गलत है कि मैनें एक्सरे रिपोर्ट के तथ्यों के विपरीत गलत

राय दी यह भी कहना गलत है कि पीड़िता के अस्थियों के स्वरुप के अनुसार जाँच के समय वयस्क महिला थी।"

18. अभियोजन की ओर से साक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना को पी०डब्लू०-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है कि जिसने मुख्य परीक्षा की कंडिका-1 व 2 में यह साक्ष्य दिया है कि " दिनांक 12.12.2018 को मैं जिला महिला अस्पताल बहराइच में कार्यरत थी। उस दिन पुलिस थाना उतरौला के अ०क्र०-281/2018 जुर्म दफा-363, 366A, 376, 506 ता०हि० एवं धारा-3/4 व 18 पॉक्सो एक्ट व के मामले की पीड़िता उम्र 17 वर्ष पुत्री आस मोहम्मद निवासी बमई पिपरा याकूब थाना-उतरौला जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) को महिला पुलिस आरक्षी कामनी यादव पी.एन.ओ.-162663307 द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। पीड़िता की परीक्षण समय 12:30 पी०एम० पर मेरे द्वारा आरम्भ किया गया था। पीड़िता का पहचान चेहरे पर दाहिने तरफ एक काला तिल का निशान था जो मुँह से 2 से०मी० ऊपर था और उसके दाहिने हाथ का अंगूठा लगाकर प्रमाणित किया गया था। उसकी माहवारी एक साल पहले से आना शुरू हुआ था जो हर तीस दिन पर आती थी और पांच दिन तक रहती थी। आखिरी माहवारी दिनांक 25.11.2018 को आयी थी।"

19. साक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना पी०डब्लू०-4 ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-3 व 4 में यह साक्ष्य दिया है कि "पीड़िता से मैंने घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया था तो उसने घटना के बावत मुझे यह बताया था कि पीड़िता अपने नाना के घर गयी थी। अदीफा अपने नाना के घर से स्वयं के घर जा रही थी। रास्ते में समीर अहमद और तीन अज्ञात आदमी मिले। चारों ने HRA स्कूल के पीछे झाड़ी में बारी-बारी से बलात्कार किया । समीर को पहले से ही पीड़िता जानती थी। और उसके साथ पीड़िता की फ्रेंडशिप थी। बलात्कार करके चारो भाग गये लेकिन समीर को पीड़िता के रिश्तेदारों ने पकड़ लिया और कोतवाली ले गये थे। पीड़िता मलमूत्र त्यागकर, ब्रशकर एवं नहा धोकर,और अन्डरगारमेंट एवं कपड़े बदल कर आयी थी। घटना दिनांक 06.12.2018 की है। पीड़िता के परीक्षण के समय शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता के घटना के दिन के पहने हुए कपड़े धुल चुकी थी और परीक्षण के समय उपलब्ध नहीं थे। उसके पल्स 18/मिनट और रेगुलर था, बी.पी. सामन्य था, तापमान सामान्य, सांस की गति

18/मिनट व उसकी पुतलियां सामान्य थी। पीड़िता मानसिक रूप से स्वस्थ थी। पीड़िता का बाह्य परीक्षण में किसी तरह की चोट नहीं पाये गये थे। पीड़िता का यूरेथ्रलमियट्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माईनोरा, फारसीट, पैरिनियम किसी तरह की चोट नहीं थी।"

20. साक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना (पी०डब्लू०-4) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-5 व 6 में यह साक्ष्य दिया है कि "वेजाइनल काटन स्वाब स्टिक डी०एन०ए० टेस्टिंग, वेजाइनल स्मीयर की दो स्लाइड बनाकर पैथालॉजी डिपार्टमेंट में शुक्राणु एवं गोनोकोकाई की जांच के लिए पैथालाजिस्ट के पास भेजा गया। एक्स-रे ज्वाइंट के लिए पीड़िता को रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया एवं उम्र निर्धारण के लिए सी०एम० बहराइच के पास भेजा गया था। पत्रावली में शामिल मेडिको लीगल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार किया गया था जोकि (प्र०क-04) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। पूरक रिपोर्ट- वेजाइनल स्मीयर स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करने पर स्लाइड में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाये गये एवं गोनोकोकाई भी नहीं मिला। मैं यह नहीं कह सकती कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। पूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार किया गया है जो कि (प्र०क-5) है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। पत्रावली में शामिल मेडिकल पैथालॉजिस्ट रिपोर्ट डा० मुकेश के द्वारा तैयार किया गया है जो कि (प्र०क-06) है जिसके अ से अ भाग पर डा० मुकेश के हस्ताक्षर बने हैं।"

21. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना पी०डब्लू०-4 से जिरह की कंडिका-7 में यह स्वीकार कराया गया है कि "पीड़िता के शरीर पर यौन हिंसा के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। यह कहना गलत है कि पीड़िता ने मेरे समक्ष घटना के बावत कोई कथन नहीं किया था। यह भी कहना गलत है कि पुलिस प्रपत्रों के आधार पर मैंने स्वयं द्वारा तैयार किये गये कागजों पर अंकना किया है। यह कहना गलत है कि मुकदमें गलत साक्षी बनी हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैने आज न्यायालय पर प्रपत्रों के आधार पर गलत और झूठा साक्ष्य दिया है।"

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

22. अभियोजन की ओर से साक्षी विवेचक शम्भू सिंह को पी०डब्लू०-5 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा की कंडिका-1 लगायत 2 में यह साक्ष्य दिया है कि" माह अगस्त 2018 से मैं थाना उतरौला के चौकी महदेईया पर चौकी इन्चार्ज के पद पर जनपद बलरामपुर में तैनात था। दिनांक 09.12.2018 को मु०अ०सं०-281/2018 धारा-363, 366ए ता०हि० व धारा-18 पॉक्सो एक्ट थाना उतरौला की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी, जिसकी संपूर्ण विवेचना मेरे द्वारा की गई। दिनांक-09.12.2018 को मेरे द्वारा नकल चिक एफ०आई०आर० नकल रपट कायमी, बयान कायमी प्र०सू०रि० लेखक हे० मोहर्रिर गुरू प्रसाद सिंह बयानवादी आस मोहम्मद बयान अपहृता की मां मैशरजहां का अंकित किया। निरीक्षण घटनास्थल संकेत (i)-चिन्ह (A) घटनास्थल जहां से अपहृता कुमारी अदीफा खातून को बहला फुसलाकर ले जाना बताया जा रहा है। (ii)-चिन्ह->->-> वह रास्ता जिस तरफ को अपहृता को ले जाने का मार्ग बताया जा रहा है। पत्रावली में शामिल नक्शानजरी (प्र०क-4) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने है एवं बयान समयी साक्षी शाबिर अली, मोहम्मद अयूब का बयान अंकित किया।"

23. साक्षी शम्भू सिंह (अ०सा०-5) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य भी दिया है कि "दिनांक 10.12.2018 को नकल प्रमाण पत्र पीड़िता बयान सहायक अध्यापक राघवेन्द्र सिंह का अंकित किया एवं अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना गेट उतरौला में की गयी और मौके पर ही फर्द बरामदगी दस्तावेज कागज तैयार गयी जिस पर महिला पुलिस कामनी यादव एवं अभियुक्त समीर व पीड़िता के हस्ताक्षर बने है जो कि (प्र०क-5) है जिसके अ से भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने है। बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. का महिला पुलिस कामनी यादव ने अंकित किया बयान के आधार पर धारा 376,506 आई०पी०सी० व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पाया जा रहा है। पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 376, 506 आई०पी०सी० व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। बयान अभियुक्त समीर का अंकित किया एवं न्यायालय से अभियुक्त की 14 दिवस की रिमाण्ड की याचना की गयी।"

24. साक्षी शम्भू सिंह (अ०सा०-5) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य भी दिया है कि "दिनांक 20.12.2018 को पीड़िता की डॉक्टरी रिपोर्ट एवं पैथालॉजी

रिपोर्ट एवं पूरक रिपोर्ट व उम्र निर्धारण रिपोर्ट पीड़िता का केश डायरी में अंकित किया। दिनांक 22.12.2018 को पीड़िता का 164 सी.आर.पी.सी. का बयान अंकित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया। दिनांक 22.12.2018 को ही बयान पीड़िता 164 सी.आर.पी.सी. का अवलोकन कर सीडी में अंकित किया। दिनांक 23.12.2018 को बयान फर्द गवाह वसीम वेग एवं मजीद बयान वादी आस मोहम्मद का अंकित किया। पीड़िता के 161 व 164 सी.आर.पी.सी. के बयान में भिन्नता पाकर गहराई से छानबीन करने की अंकना की गयी है। दिनांक 05.01.2018 को न्यायालय से अभियुक्त की 14 दिवस के रिमाण्ड की याचना की गयी। बयान कस्बावासी उतरौला समीर वेग बयान गवाह मोहल्लावासी पटेल नगर अकबर अली, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद हारून, सलाहुद्दीन का बयान अंकित किया। पत्रावली में शामिल कागज सं० 4क/37 प्रार्थना पत्र पीड़िता का 164 सी.आर.पी.सी. बयान कराने के सम्बन्ध में है जो कि (प्र०क-6) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने हुए है। दिनांक 31.01.2019 को अभियुक्त उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी हेतु स्थगन आदेश की कापी प्रस्तुत किया जिसे केश डायरी में अंकित किया एवं अवलोकन सी.डी.आर. आरोपी बब्लू उर्फ फिरोज एवं आरोपी मोबीन का अंकित किया जिसमें पीड़िता द्वारा बताये गये घटनास्थल पर सी.डी.आर. के हिसाब से मौजूदगी नही पाई गयी है।"

25. साक्षी शम्भू सिंह (अ०सा०-5) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य भी दिया है कि "दिनांक 06.02.2018 को बयान आरोपी बब्लू उर्फ फिरोज व मोबीन एवं दिलावर का बयान अंकित किया तथा वादी मुकदमा के रिस्तेदार व अभियुक्तगण के मध्य चल रहे जमीनी विवाद वाद सं० 12/2014, नवीउल्ला बनाम मजीद वेग का अंकना किया गया। दिनांक 11.02.2019 को बयान महिला आरक्षी कामनी यादव का अंकित किया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं पीड़िता द्वारा दिये गये बयान में भिन्नता पाये जाने पर गहराई से छानबीन किये जाने पर पीड़िता द्वारा 164 सी.आर.पी.सी. में लिए गये नाम बब्लू उर्फ फिरोज व मोबीन के सी.डी.आर. के अवलोकन से घटना के समय उपस्थिति भिन्न-भिन्न जगहों पर पाई गयी तथा वादी मुकदमा नवीउल्ला व आरोपीगण के रिस्तेदारों के बीच जमीनी विवाद होना पाया गया जिसके आधार पर बब्लू उर्फ फिरोज, मोबीन व नामित अभियुक्त दिलावर की जुर्म में सरीक नही पाये जाने पर नामजदगी

गलत की गई। नामित अभियुक्त समीर पुत्र दिलावर निवासी कस्बा पटेल नगर उतरौला थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के विरुद्ध जुर्म धारा 363, 366ए, 376,506 आई.पी.सी. व 3/4, 18 पाक्सो एक्ट का अपराध साबित है। आरोप पत्र संख्या 01 दिनांक 11.02.2019 को न्यायालय ASJ-I को प्रेषित किया जो कि (प्र०क-7) है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर बने है।"

26. साक्षी शम्भू सिंह (अ०सा०-5) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य भी दिया है कि "दिनांक 23.03.2019 को S.C.D-I में बयान गवाह कस्बावासी हबीब, मो० अमिर, वकील वेग, शोएब खान का अंकित किया गया। पूर्व प्रेषित आरोप पत्र दिनांकित 11.02.2019 को न्यायालय ASJ-I को प्रेषित किया जा चुका है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या-3क/1 कम्प्यूटराइज नकल चिक एफ०आई० आर० हे० कां० गुरुप्रसाद सिंह के द्वारा बोल-बोल कर सी.सी.टी.एन.एस. महिला आरक्षी अमिता चौधरी के द्वारा टाइप कराया गया जो कि (प्र०क-8) है जिसके अ से अ भाग पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है। पत्रावली में शामिल कागज सं० 4क/9 कम्प्यूटराइज कायमी जी.डी. हे० कां० गुरुप्रसाद सिंह के द्वारा बोल-बोल कर सी.सी.टी.एन.एस. महिला आरक्षी अमिता चौधरी के द्वारा टाइप कराया गया जो कि (प्र०क-9) है जिसके अ से अ भाग पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है।"

27. बचावपक्ष की ओर से साक्षी विवेचक शम्भू सिंह (अ०सा०-5) से 14 लगायत 15 में यह स्वीकार कराया गया है कि "यह सही है कि प्रश्नगत मामले की पीड़िता ने मेरे समक्ष कोई भी कथन नहीं किया था। यह कहना गलत है कि प्रश्नगत मामले की तथाकथित पीड़िता के माता पिता व अकबर अली, मो0 फिरोज, सलाहुद्दीन व मो0 हारून ने मेरे समक्ष कोई भी कथन नही किया था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा नक्शानजरी अपने मन से बिना तथ्यों का अवलोकन किये गलत तरीके से तैयार किया गया था। यह भी कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रश्नगत मुकदमें में गलत व फर्जी कागजात तैयार किये गए थे। यह भी कहना गलत है कि मेरे द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी आरोपपत्र माननीय न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। यह भी कहना गलत है कि मेरे द्वारा फर्जी व गलत विवेचना की गयी। यह भी कहना गलत है कि मैं मुकदमें मे गलत व झूंठा गवाह बना व झूंठी गवाही दी।"

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

28. अभियोजन की ओर से साक्षी गुरू प्रसाद सिंह (अ०सा०-6) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि "दिनांक 09-12-2018 को बतौर हेड मो० थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के पद पर तैनात था। दिनांक 09-12-2018 को ही मु०अ०सं0-281/2018 धारा-363, 366A भा०द०सं० व धारा-18 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली उतरौला, जनपद बलरामपुर का आपराधिक मुकदमा वादी स्वयं आस मोहम्मद पुत्र करम मोहम्मद निवासी ग्राम महदेइया मोड़ थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर में आकर तहरीर तत्काली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को दिया था और प्रभारी निरीक्षक महोदय ने मुझे बुलाकर तहरीर दिये थे। मुकदमा लिखने के बाद मुकदमे की एक प्रति वादी को देकर रूख्सत किया था। आरोपी समीर पुत्र दिलावर व दिलावर पुत्र कासिम व अन्य निवासी मोहल्ला पटेल नगर थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के विरूद्ध कम्प्यूटर पर बोल-बोल महिला कां० अमिता चौधरी के द्वारा टाइप कराया था। चिक एफ०आई०आर की कम्प्यूटराइज प्रति पर पहले से (प्र०क-8) पड़ा है, जिसके अ से अ भाग पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के हस्ताक्षर बने है। पत्रावली में शामिल कम्प्यूटराइज जी०डी० कायमी दिनांक 09-12-2018 समय 16:30 बजे रोजनामचा आम नं०-25 मेरे द्वारा वादी के तहरीर के आधार पर बोल-बोल महिला कां० अमिता चौधरी द्वारा अक्षरशः कम्प्यूटर पर टाइप कराया गया था। कम्प्यूटराइज जी०डी० कायमी (प्र०क-9) पहले से पड़ा है, जिसके अ से अ भाग पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के हस्ताक्षर बने है।"

29. बचावपक्ष की ओर से साक्षी गुरू प्रसाद सिंह (अ०सा०-6) से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसने पैरा क्र०-3 में यह स्वीकार किया है कि "यह सही है कि वादी मुकदमा के द्वारा पूर्व लिखित तहरीर के आधार पर प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर मुकदमें से संबन्धित चिक किता किया था। मैंने अपनी तरफ से कोई तहकीकात नहीं की थी। यह सही है कि मुकदमा बनाने की गरज से झूठा व फर्जी कागजात तैयार किया। यह भी कहना गलत है कि मुकदमे में गलत व झूठा साक्षी बना। यह भी कहना गलत है कि आज न्यायालय पर झूठी व गलत गवाही दे रहा हूँ।"

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

30. समस्त अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य अंकित हो जाने के उपरान्त राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्ति की घोषणा की गई तथा पत्रावली अभियुक्त कथन अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत किया गया। दिनांक 25.05.2026 को अभियुक्त समीर का बयान अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रकिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने यह कथन किया है कि पीड़िता वयस्क महिला है, मुकदमा बनाने के लिए गलत व झूंठी रिपोर्ट तैयार की। अभियोजन सीक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना का साक्ष्य गलत है, प्रपत्रों के आधार पर झूंठा कथन किया है, विवेचक द्वारा मुकदमा बनाने के लिए झूंठे कागजात तैयार किये गये गलत बयान दिये गये। अभियुक्त समीर ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यक्त करते हुए यह बचाव लिया है कि वह बेगुनाह है, गलत तरीके से झूंठे व फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। वह कभी किसी अपराध में लिप्त नहीं रहा है, उसके साथ न्याय किया जाये।

31. दिनांक 18.06.2026 को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि "श्रीमानजी सफाई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करना है।" तदोपरान्त प्रकरण उभयपक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किये जाने हेतु नियत किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतिम तर्क का श्रवण किया गया और प्रकरण निर्णय हेतु नियत किया गया।

32. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित बहस पत्रावली पर दाखिल की गई है और यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को फरियादी (मृत) की नाबालिग पुत्री/पीड़िता (मृत) को विवाह करने के आशय से अथवा उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त सम्भोग करने के आशय से बहला-फुसलाकर उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से जबरन व्यपहृत किया गया तथा पीड़िता को परिरोध में रखकर उसके साथ जबरन बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया, अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने की याचना की गई है, जबकि खण्डन में बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली में अभियुक्त के विरूद्ध रंचमात्र भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है, उसे फरियादी द्वारा रंजिशन

फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, इस प्रकार अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

33. अभियोजन कथानक व अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर इस प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैः-

1. घटना के समय पीड़िता की आयु।
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का प्रभाव।
3. अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित होना या न होना।

<u>घटना के समय पीड़िता की आयु</u>

34. न्यायालय को सर्वप्रथम घटना दिनांक को पीड़िता की वयस्कता/ अवयस्कता के सम्बन्ध में निष्कर्ष देना है, जिसके अनुक्रम में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखगत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण के फरियादी द्वारा पुलिस थाना में दी गई लिखित तहरीर (अप्रदर्शित) में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष अंकित की गई है। पीड़िता ने धारा-161 दं०प्र०सं० के कथन में अपनी उम्र 16 वर्ष, जबकि धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता ने अपनी उम्र 15 वर्ष लेखबद्ध कराई है।

35. न्यायालय द्वारा साक्षी पीड़िता की मां को न्यायालय साक्षी सं०-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा की कंडिका-3 में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के समय उसकी पुत्री की उम्र 16 वर्ष थी। उपरोक्त के अलावा अभियोजन की ओर से पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में साक्षा प्रधानाध्यापक महेश कुमार प्रजापति को पी०डब्लू०-2 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उसके विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक आर०पी० सिंह द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र (प्र०क-1) प्रभारी निरीक्षक को दिया गया था, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2002 अंकित है। एस०आर०

रजिस्टर की मूल के प्रवेश क्रमांक-2700 में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2002 अंकित है। एस०आर० रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति (प्र०क-2) है, जोकि मूल के अनुरूप है।

36. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी प्रधानाध्यापक महेश कुमार प्रजापति (अ०सा०-2) से प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार कराया गया है कि "पीड़िता ने मेरे विद्यालय में कक्षा-08 में प्रवेश लिया था, इससे पूर्व किसी विद्यालय में पढ़ने के संदर्भ में कोई अंकना एस०आर० रजिस्टर में नहीं है और न ही गृह शिक्षा के बारे में कोई अंकना है। पीड़िता के जन्मतिथि के बारे में कोई भी प्रपत्र एस०आर० रजिस्टर में नहीं है। यह सही है कि कक्षा-08 में लगातार अनुपस्थित होने के कारण उसके नाम के काटे जाने की अंकना है। यह कहना गलत है कि झूंठी प्रपत्र के आधारों पर झूंठी गवाही दी है।"

37. साक्षी डा० नरेन्द्र कुमार बाजपेयी (अ०सा०-3) ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि पीड़िता की रेडियोलाजिकल उम्र 16 वर्ष बताई गई थी। मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा गठित टीम के परीक्षण का अवलोकन करने के पश्चात पीड़िता की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की थी।

38. उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीड़िता की उम्र उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित जन्मतिथि दिनांक 01.01.2002 के आधार पर घटना दिनांक 06.12.2018 को 16 वर्ष 11 माह 05 दिन की एक अवयस्क बालिका होना प्रतीत हो रही है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी महेश कुमार प्रजापति (अ०सा०-2) से जिरह के दौरान यह स्वीकार कराया गया है कि पीड़िता ने उसके विद्यालय में कक्षा-8 में प्रवेश लिया था, इससे पूर्व किसी विद्यालय में पढ़ने के संदर्भ में कोई अंकना एस०आर० रजिस्टर में नहीं है। इस तरह देखा जाए तो पत्रावली पर इस आशय के साक्ष्य का पूर्णतया अभाव है कि पीड़िता के शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि का प्रारम्भिक वैधानिक स्रोत क्या था, उपरोक्त कारण से न्यायालय के मत में पीड़िता के विद्यालयीन अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि संदेहास्पद है। उपरोक्त के अलावा अभियोजन की ओर से पीड़िता का उम्र के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया है, जिसके

अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर द्वारा गठित चिकित्सकों के त्रिसदस्यीय पैनल द्वारा पीड़िता की औसत आयु लगभग 16 वर्ष निष्कर्षित की गई है, जिसका समुचित खण्डन बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर पीड़िता की मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई आयु उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर निकाली गई आयु से मेल खाती है। अतः उपरोक्त समीक्षा के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि घटना दिनांक को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की एक अवयस्क बालिका थी। अधिनियम के अध्याय-1 में वर्णित धारा-2 में उल्लिखित परिभाषा की कंडिका (घ) में परिभाषित "बालक" की श्रेणी में पीड़िता आती है। इस कारण से अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में आकर्षित होते हैं, ऐसा निष्कर्षित किया जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का प्रभाव

39. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.12.2018 समय 16.30 बजे थाना कोतवाली उतरौला में दर्ज कराई गई थी, जबकि घटना दिनांक 06.12.2018 को होना अभिकथित किया गया है।

40. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 03 दिनों के विलम्ब से दर्ज कराई गई है तथा वादी मुकदमा द्वारा सोच-समझकर प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त को झूंठा फंसाने हेतु उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से कराई गई है, जिस कारण से सम्पूर्ण घटना झूंठी व संदेहास्पद प्रतीत होती है।

41. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में लगभग 03 दिनों के विलम्ब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा अपनी पुत्री को ढूंढने में व्यस्त होने के कारण तथा लोक-लाज के भय से तथा ग्रामीण परिवेश का होने के कारण त्वरित रूप से

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **रामदास व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 SCC 170** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "एफआईआर दर्ज करने में देरी को अभियोजन साक्ष्य की प्रामाणिकता पर संदेह करने का एक यांत्रिक अथवा औपचारिक सूत्र (ritualistic formula) के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद, (2001) 6 SCC 71** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को अभियोजन साक्ष्य की प्रामाणिकता पर संदेह करने का एक यांत्रिक सूत्र नहीं बनाया जा सकता। जब देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह विश्लेषण करे कि वह स्पष्टीकरण संतोषजनक है या नहीं।

43. वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लगभग 03 दिनों बाद दर्ज कराई गई है, परन्तु उक्त से यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि उक्त सम्पूर्ण घटना झूंठी हो। चूंकि वादी मुकदमा ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है तथा वादी मुकदमा द्वारा लोक-लाज के भय से उक्त सूचना विलम्ब से दर्ज कराने का एक कारण हो सकता है तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि के परिवार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे तत्काल आधुनिक प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हों तथा प्राथमिकी तुरन्त दर्ज कराने की जानकारी उन्हें हो। इसके अलावा अमूमन पुलिस द्वारा भी गुमशुदगी के मामलों में त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज न किये जाने के कारण भी एफआईआर विलम्ब से दर्ज की जाती है।

अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित होना या न होना

44. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता एवं फरियादी हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षीगण की मृत्यु को साबित करने के लिए न्यायालय द्वारा

न्यायालय साक्षी क्र०-1 जोकि पीड़िता की मां है, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने साक्ष्य से पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्र०सी०-1सी) कागज सं०-13क एवं फरियादी का मृत्यु प्रमाण पत्र (प्र०सी०-2सी) कागज सं०-12क पत्रावली में दाखिल कर उक्त दोनों साक्षीगण की मृत्यु की सत्यता को साबित किया है।

45. जहां तक अभियुक्त समीर के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का प्रश्न है तो उक्त के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी/चक्षुदर्शी साक्षी स्वयं पीड़िता थी, जिसके एक मात्र विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जा सकता था, परन्तु दौरान विचारण पीड़िता की मृत्यु हो जाने के कारण उसका न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित नहीं हो सका है। इसके अलावा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराने वाले साक्षी फरियादी/पीड़िता के पिता की मृत्यु भी दौरान विचारण हो जाने से लिखित तहरीर को भी साबित नहीं किया जा सका है।

46. पीड़िता की मां को न्यायालय साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने घटना के सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के संबंध में उसकी पुत्री/पीड़िता ने उसे बताया था कि अभियुक्त समीर ने उसकी लड़की/पीडिता को बताया कि उसके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी उसके साथ चलो, तुम्हे तुम्हारे अब्बू को दिखा लाये नहीं तो देर हो जायेगी और उनको अस्पताल लेकर चलें जायेंगे और बातें उसकी पुत्री ने अपने अब्बू से बतायी थी और उसे कोई बात नहीं बतायी थी।"

47. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय साक्षी सं०-1 पीड़िता की मां से जिरह में यह स्वीकार कराया गया है कि उससे दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया था। उसके आदमी से बयान लिया था, उन्हीं को जानकारी थी। उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने दरोगा जी कोई बयान नहीं दिया था। इस तरह देखा जाए तो न्यायालयीन साक्षी पीड़िता की मां को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

48. घटना के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सक साक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना (अ०सा०-4) ने मुख्य परीक्षा की कंडिका-6 में यह

साक्ष्य दिया है कि पूरक रिपोर्ट के अनुसार वेजाइनल स्मीयर स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करने पर स्लाइड में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाये गये एवं गोनोकोकाई भी नहीं मिला। वह यह नहीं कह सकती कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। इसके अलावा बचावपक्ष की ओर से जिरह के दौरान इस साक्षी से यह स्वीकारोक्ति कराई गई है कि पीड़िता के शरीर पर यौन हिंसा के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। इस तरह देखा जाए तो साक्षी डॉ० राबिया सुल्ताना (अ०सा०-4) के साक्ष्य से भी घटना का कोई समर्थन नहीं हो रहा है।

49. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी/विवेचक शम्भू सिंह (अ०सा०-5) एवं चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक हे०मु० गुरू प्रसाद (अ०सा०-6) को भी परीक्षित कराया गया है, परन्तु उक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य से ऐसे किसी भी तथ्य का प्रकटन नहीं हुआ है, जिससे घटना की पुष्टि की जा सके। उपरोक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन की ओर से तथ्य का अन्य कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके विश्वसनीय, पुष्टिकारक एवं अकाट्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जा सके।

50. उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से एक मात्र यह तथ्य स्थापित होता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक, अभिलेखीय अथवा चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि घटना दिनांक को अभियुक्त समीर द्वारा पीड़िता (मृत) को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से जबरन व्यपहृत किया गया था और उसके साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया था। पत्रावली पर उक्त आशय के साक्ष्य का पूर्णतया अभाव होने के कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। पीड़िता के साथ घटित घटना को साबित करने के लिए हस्तगत मामले में मात्र पीडिता की मां का साक्ष्य अंकित कराया जा सका है, जिसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय के मत में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा।

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

51. उपरोक्तानुसार न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य के माध्यम से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्त समीर द्वारा घटना दिनांक को फरियादी (मृत) की पुत्री/पीडिता (मृत) को विवाह करने अथवा अयुक्त सम्भोग करने के आशय से उसे उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से जबरन व्यपहृत किया गया तथा उसके साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया, फलतः अभियुक्त समीर को धारा-363, 366ए, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4, 18 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत विरचित आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

01. विशेष सत्र प्रकरण क्र०-20/2019 (कम्प्यूटरीकृत पंजीयन क्र०-15/2019) अपराध क्र०-281/2018 थाना-कोतवाली उतरौला, जिला-बलरामपुर (उ०प्र०) के प्रकरण में अभियुक्त समीर पुत्र दिलावर निवासी पटेलनगर कस्बा थाना थाना-कोतवाली उतरौला जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०) को धारा-363, 366ए, 376 भा०दं०सं० तथा धारा-3/4, 18 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत विरचित आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

02. अभियुक्त समीर पूर्व से जमानत पर आजाद है, अतः उसकी ओर से पूर्व में दाखिल किये गये प्रतिभूतिपत्र एवं बन्धपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। धारा-437-A दं०प्र०सं० के प्रावधान हेतु अभियुक्त की ओर से रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार) की दो सक्षम प्रतिभूति एवं उतनी ही राशि का स्वीय बंधपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रस्तुत की गई प्रतिभूति एवं स्वीय बंधपत्र 06 माह तक की अवधि के लिये, अपील होने की दशा पर माननीय अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बावत प्रभावशील रहेंगे।

दिनांक-25.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट
बलरामपुर (उ०प्र०)

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक-25.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Date-25.07.2026

(Rahul Singh-II)
Spl. Judge (POCSO Act)
Balrampur (U.P.)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.07.25 17:03:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court